

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6/अ0-03-05/2024

पटना, दिनांक:—

श्री विपुल कुमार, परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त (67वीं बैच), कटिहार अंचल, कटिहार को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 15.06.2025 से 07.07.2025 तक कुल 23 दिनों का उपार्जित अवकाश एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 180 एवं 236 के तहत दिनांक 08.07.2025 से 02.09.2025 तक कुल 57 दिनों का असाधारण अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री कुमार के अवकाश लेखा में (23-23=00) शून्य दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6/अ0-03-05/2024 ²¹⁷⁶ पटना, दिनांक:—15/06/26

प्रतिलिपि :— वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, कटिहार/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/अंचल प्रभारी, कटिहार अंचल, कटिहार/नोडल पदाधिकारी, एच0 आर0 एम0 एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-एच0आर0 मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री विपुल कुमार, परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त (67वीं बैच), कटिहार अंचल, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।